

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 28)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

रुझाराम बनाम जगदीश बगै०

मुकदमा नम्बर-28/2020

किरम मुकदमा:- दावा	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को दालीम में जारी हूय
तारीख हुक्म		
23.06.2020	<p>वादी की ओर से वकील श्री रक्षपाल स्वामी एड. ने उपस्थित होकर दावा पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल जारी की जावे। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 08.07.2020 को पेश हो।</p>	
08.07.2020	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत विद्वा किये जाने दावा का पेश कर निवेदन किया है कि प्रकरण में अभी तक सम्मन नोटिस जारी नहीं हुए है तथा दावा दायरी के रोज प्रतिवादी नं. 2 की मृत्यु हो जाने से उसके विरुद्ध दावा चलने योग्य नहीं होने से इस दावे को विद्वा कर नये सिरे से वाद पेश करने की अनुमति बाबत पेश किया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वादपत्र को इसी स्तर पर विद्वा कर खारीज किया जाता है तथा वकील वादी को नया वाद पेश किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p>	

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)